

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वारंते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी शाबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा घोडावड़, पटवार हल्का घोडावड़ में अप्रार्थी संख्या 1 के जायन्दा पिता के कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 180 रकबा 0.0486 किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 181 रकबा 0.0567 किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 184 रकबा 0.0243 किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 191 रकबा 0.1295 किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 192 रकबा 0.7527 किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 197 रकबा 3.1484 किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 198 रकबा 3.8931 किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 201 रकबा 0.3157 किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 202 रकबा 4.5648 किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 205 रकबा 0.0647 किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 211 रकबा 7.1467 किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 212 रकबा 1.5621 किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 268 रकबा 0.0486 किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 528 रकबा 0.0728 किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 530 रकबा 0.00324 किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 531 रकबा 0.0486 किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 532 रकबा 0.0647 किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 533 रकबा 0.0243 किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 535 रकबा 0.2104 किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 206 रकबा 27.955 किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 369 रकबा 4.3706 किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 370 रकबा 25.511 किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 378 रकबा 24.475 किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 142 रकबा 1.0522 किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 143 रकबा 3.1565 किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 144 रकबा 1.5864 किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 196 रकबा 1.8373 किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 199 रकबा 1.1979 किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 267/589 रकबा 4.5487 किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 182 रकबा 1.0441 किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 411 रकबा 11.760 किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 529 रकबा 1.1817 किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 534 रकबा 10.246 किस्म बारानी अब्बल आई हुई है, में मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-ब्यावर

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-ब्यावर